न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 37/20 **सन् 2020**

जीसीएमएस संख्या 2020/00062

बउनवानी–1. बदरी लाल पुत्र गोपी लाल जाति ब्राहामण निवासी ठींगला, तहसील सवाईमाधोपुर
2. रमेश चन्द पुत्र गोपी लाल जाति ब्राहामण निवासी ठींगला, तहसील सवाईमाधोपुर
3. मूरलीधर पुत्र गोपी लाल जाति ब्राहामण निवासी ठींगला, तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर
2. घनश्याम पुत्र घूडीलाल जाट निवासी ठींगला तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
3. घनश्याम पुत्र कल्याण जाट निवासी ठींगला तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
4. गोपाल पुत्र जयनारायण जाट निवासी ठींगला तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
5. प्रभूलाल पुत्र गोपाल मीना निवासी ठींगला तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
6. प्रभू लाल पुत्र मांगीलाल जाट निवासी ठींगला तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
7. मोहन लाल पुत्र हीरा लाल जाट निवासी ठींगला तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
8. मदन लाल पुत्र दयाला जाट निवासी ठींगला तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
9. हरपाल पुत्र बजंरगा जाट निवासी ठींगला तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
10. मोहन लाल पुत्र सूरजमल जाट निवासी ठींगला तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर की मिसल संख्या 10/2020 निर्णय दिनांक 24.2.2020 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :– 1. श्री पारस मल जैन — वकील अपीलान्ट
2. श्री भवर सिंह जादौन/संदीप शर्मा — वकील रेस्पो. संख्या 2 लगायत 10
2. श्री तौफिक मोहम्मद — पैरोकार राजस्व

–: निर्णय :– **दिनांक 28.12.2021**

अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर की मिसल संख्या 10/2020 में पारित निर्णय दिनांक 24.2.2020 जिसके द्वारा अपीलान्ट को मंदिर मूर्ति गोपाल जी ग्राम ठींगला की भूमि आराजी ख0न0 417 रकबा 0.99 है0 पर निर्माण कार्य करने का का दोषी पाये जाने पर अपीलान्ट के विरूद्ध शास्ती आरोपित कर मौके से बेदखल करने के दण्ड से दण्डित किया गया है के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया एंव विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलें में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि सम्बत् 2076 में मंदिर मूर्ति गोपाल जी ग्राम ठींगला की खातेदारी भूमि ख0न0 417 रकबा 0.99 है0 वाके ग्राम ठींगला के दक्षिणी भाग पर 93X10.9 वर्ग फीट मे चद्दर पोश निर्माण एवं उत्तरी भाग पर 30X30 वर्ग फीट मे बिना छत की ईटों का ढांचा निर्माण कर तथा दो टयूब वेल लगाकर कृषि भूमि को अकृषि कार्य मे लिये जाने के आशय की रिपोर्ट तहसीलदार सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट को वास्तें सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये तलबी जरिये नोटिस की गयी, जिसकी पालना में अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर निर्माण करना स्वीकार किया तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्ट का विवादित भूमि पर अवैध निर्माण होने बाबत अंकित तथ्यों की जॉच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवार हल्का के लिये गये बयान के आधार पर अपीलान्ट का अवैध निर्माण होना साबित होने की स्थिति में बाद जॉच आदेश जेर अपील पारित किया है। जिससे आहत होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी ।

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत ने अपीलान्ट को एक नोटिस अन्तर्गत धारा 90 क लेण्ड रेवेन्यू एक्ट तथा उसके साथ धारा 212 आर.टी.एक्ट का इस आशय का दिया कि ग्राम ठींगला की आराजी ख0न0 417 रकबा 0.99 है0 के दक्षिणी भाग पर 93X10.9 वर्ग फीट मे चद्दर पोश निर्माण एवं उत्तरी भाग पर 30X30 वर्ग फीट मे बिना छत की ईटों का ढांचा निर्माण कर तथा दो टयूब वेल लगाकर कृषि भूमि को अकृषि कार्य किया जा रहा है इस कारण उक्त भूमि को राजकीय भूमि घोषित किये जाने हेतु संबंधित न्यायालय मे प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित कर दिये जावे। जिसकी आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 24.2.2020 तारीख पेशी नियत की गयी। नियत दिनांक को उक्त नोटिस का विस्तृत जवाब इस आशय के साथ पेश किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया नोटिस कतई गलत तथ्यों पर आधारित है जिसपर धारा 90 क के प्रावधान लागू नही होते है। आराजी ख0न0 417 रकबा 0.99 है0 ग्राम ठींगला जो कि मंदिर मूर्ति गोपाल जी की खातेदारी मे दर्ज है तथा उत्तरदातागण उक्त मंदिर के पुजारी है तथा मंदिर की सेवा पूजा अपने पूर्वजो के समय से ही करते आ रहे है तथा उक्त निर्माण फसल रखने पशुओ के लिए चारा आदि रखने एवं कृषि यंत्रों एवं कृषि उपज से संबंधित संसाधनो को रखने के लिए किया गया है तथा कृषि कार्य को सम्भालने एवं देखरेख के लिये उसमे रहने हेतु तथा प्राकृतिक आपदाओ से बचने हतु निर्माण किया गया है जो कि कृषि कार्य की ही परिभाषा में आता है। किन्तु कुछ असामाजिक तत्वो एवं भूमाफियो द्वारा कतई गलत ढंग से उक्त आराजी पर कब्जा कर अधिकार जमाने की दृष्टि से जबरन मनगढंत झूठी शिकायतें कर उत्तदातागण को परेशान किया जा रहा है। यह तर्क भी दिया कि दिनांक 24.2.2020 को उत्तरदाताओ को तहसीलदार द्वारा यह कहकर भेज दिया कि तुम जाओ जब भी कोई कार्यवाही होगी आपको सूचित कर देंगें। उक्त संबंध में दिनांक 22.6.2020 को जरिये रजिस्टर्ड डाक दस्तावेज के साथ आवेदन पत्र भिजवाया गया किन्तु तहसीलदार द्वारा कोई जवाब नही दिया। यह तर्क भी दिया कि तहसीलदार द्वारा उक्त निर्णय की पालना में दिनांक 10.7.2020 को भू. अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को तहरीर जारी की गयी जो कतई गलत एवं विधि विरूद्व है क्योकि मंदिर की भूमि से बेदखल कर कब्जे राज मे दिये जाने का कोई भी विधिक प्रावधान नही है। आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.7.2020 को गिरदावर हल्का ने अपीलान्ट को बदेखली व पेनेल्टी आदेश के बार मे बताये जाने पर प्राप्त हुई है। अतः जानकारी से अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत की गयी है। इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया कि प्रथम तो अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है एवं विलम्ब बाबत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों की पुष्टि में अपीलान्ट ने कोई विधिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट द्वारा मंदिर गोपाल जी की खातेदारी भूमि पर निर्माण कार्य कर लिये जाने के कारण अपीलान्ट को बेदखल करने हेतु पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है। वकील रेस्पो.संख्या 2 लगायत 5 द्वारा निवेदन किया कि विवादित भूमि मंदिर गोपाल जी के नाम है जिसपर अपीलान्टगण मैरिज गार्डन एवं लॉन बना लिये जाने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 17.2.2020 में अंकित है। उक्त भूमि राधागोपाल फार्म हाउस के नाम से

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वाणिज्यिक प्रयोग मे ली जा रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 6.9.2021 मे पुजारी को मंदिर की भूमि पर निर्माण करने का कोई अधिकार नही है। वकील रेस्पो. संख्या 6 लगायत 10 द्वारा निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत नही है उक्त मंदिर का कोई ट्रस्ट नही है मंदिर मे पुजारी ही मंदिर की व्यवस्था सेवापूजा रागभोग आदि करते है। कुछ असामाजिक तथ्य मंदिर की भूमि को हडपना चाहते है इसलिए पुजारी की झूंठी शिकायत करते रहते है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील रेस्पो. संख्या 6 लगायत 10 द्वारा निवेदन किया गया। वकील रेस्पो. 1 लगायत 5 द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है जिसकी पालना में अपीलान्ट द्वारा दिनांक 24.2.2020 को अपना जवाब अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया है जिसमे उक्त भूमि पर निर्माण कार्य करना स्वीकार किया है। चूंकि सम्बत् 2076 में मंदिर मूर्ति गोपाल जी ग्राम ठींगला की खातेदारी भूमि ख0न0 417 रकबा 0.99 है0 वाके ग्राम ठींगला के दक्षिणी भाग पर 93X10.9 वर्ग फीट मे चद्दर पोश निर्माण एवं उत्तरी भाग पर 30X30 वर्ग फीट मे बिना छत की ईटों का ढांचा निर्माण कर तथा दो टयूब वेल लगाकर कृषि भूमि को अकृषि कार्य मे लिये जाने के आशय की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। यद्यपि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90(ख)(12) में खातेदार को उसके निवासीय गृह हेतु (उसकी जोत के 1/50 वे भाग या 500 वर्गगज, इनमे से जो भी कम हो की सीमा के अध्यधीन रहते हुए) पशु प्रजनन,दुग्ध उधोग, चारा भण्डार, कुक्कट पालन उद्यान–कृषि, वन विकास,जलाशय,कुआ इत्यादि के लिए और उसमे अनुषंगिक या संसक्त अन्य प्रयोजनो के लिए भूमि के आंशिक उपयोग का अर्थ अकृषि प्रयोजनो के रूप मे नही लगाया जावेगा किन्तु उक्त प्रकरण में खातेदार मंदिर मूर्ति गोपाल जी है जो उक्त किये गये निर्माण में निवास नही कर सकते है यदि अपीलान्ट पुजारी को अपने स्वंय के रहने के लिए निर्माण करना है तो अपनी स्वंय की खातेदारी भूमि पर ही निर्माण कर सकता है मंदिर की खातेदारी भूमि पर निर्माण करने का उसे कोई कानूनी अधिकार नही है। पत्रावली पर उपलब्ध फोटोग्राफ इत्यादि से स्पष्ट हो जाता है कि अपीलान्ट द्वारा मंदिर की भूमि पर किया गया निर्माण एवं अन्य गतिविधिया व्यवसायिक उपयोग की प्रवृति की है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा उक्त विवादित भूमि पर से अपीलान्ट द्वारा किये गये निर्माण को बेदखल करने हेतु पारित आदेश जैर अपील में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नही है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर